


रूपनगाव

२२-११-२५ वकील वादी की ओर से प्रार्थना-पत्र वास्ते उक्त
प्रकरण की पत्रावली आगामी पेशी दिनांक १९-१२-२५
से आज ही तलब कर नया वाद प्रस्तुत किये जाने
की अनुमति प्रदान करते हुये उक्त वाद को विडो किये
जाने की अनुमति प्रदान करने वाबत पेश करने पर
पत्रावली तलब की गयी

हमने प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया
एवं वकील वादी को सुना। तदनुसार उक्त प्रार्थना-
पत्र स्वीकार किया जाकर वादी को नया वाद प्रस्तुत
करने की अनुमति प्रदान की जाती है
पत्रावली फैंसल सुमार लेकर नम्बर से
कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
रूपनगाव (अजमेर)

